

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाद/मरम्मत/2022/1192

दिनांक : 16/9/22

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव / बाद / 22 / 10645-55 दिनांक 08.09.2022 द्वारा मानसून, 2022 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, मौजमाबाद, जोबनेर, जयपुर, सांगानेर, फुलेरा तथा जोबनेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड— शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड— दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, मौजमाबाद, जोबनेर, जयपुर, सांगानेर, फुलेरा तथा जोबनेर क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशाषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड—फुलेरा, जयपुर

उपखण्ड — सांभर

क्र.सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	दौसा से कुचामन बाया लवान तूंगा फागी दूदू सांभरल किमी. 160/00 से 170/00	10.00
2	मोखमपुरा (एनएच-8) फुलेरा सांभर सड़क किमी. 20/800 से 26/00	5.20
3	फुलेरा काचरोदा बंधे का बालाजी रोड किमी. 0/00 से 2/0	1.20
4	सम्पर्क सड़क मुंडोती किमी. 0/00 से 1/300	0.78
5	फुलेरा सांभर बाईपास किमी. 0/00 से 1/800	1.08
6	त्योदा से त्योदा किमी. 0/00 से 1/00	0.60
7	भैसलाना से श्यामपुरा किमी. 0/00 से 5/100	3.06
8	सिनोदिया रोड से जगमालपुरा किमी. 0/00 से 3/400	2.04
9	भैसलाना पहाड़पुरा रोड से प्रेमपुरा किमी. 0/00 से 3/230	1.94
10	भैसलाना प्रेमपुरा रोड से पहाड़पुरा किमी. 0/00 से 3/00	1.80
11	मंडा अनन्तपुरा रोड से दीपपुरा किमी. 0/00 से 2/550	1.53
12	मंडा अनन्तपुरा रोड से प्रतापपुरा किमी. 0/00 से 1/200	0.72
13	जोबनेर रोड बड़ की ढाणी से बंधे बालाजी रोड अपटू काचरोदा किमी. 0/00 से 1/800	1.08
14	भैसलाना श्यामपुरा रोड से बिजारणियों का बास किमी. 0/00 से 1/600	0.96
15	सिनोदिया से श्यामपुरा किमी. 0/00 से 3/200	1.92
16	अणतपुरा से पहाड़पुरा किमी. 0/00 से 3/00	1.80
17	कोडी से सोलंकियों की ढाणी (डयोडी) किमी. 0/00 से 3/00	1.80
18	बेनिया नाड़ा से रसूलपुरा किमी. 0/00 से 1/700	1.02
19	खतवाड़ी से लूणवा किमी. 0/00 से 1/630	0.98
20	सम्पर्क सड़क काजीपुरा खण्डेल किमी. 0/00 से 6/00	3.60
21	सांभरलेक से तेज्या का बास किमी. 0/00 से 3/500	2.10
22	फुलेरा जोबनेर रोड से जैतपुरा किमी. 0/00 से 4/440	2.64
23	सम्पर्क सड़क जयसिंहपुरा 0/00 से 0/730	0.44
24	सम्पर्क सड़क नवरंगपुरा किमी. 0/00 से 0/800	0.48
25	टोक जिला बोर्डर से रसीली मौजमाबाद बगरू-बेगस-लालपुरा-हिगोनिया- बागावास -लूनियावास सड़क किमी. 88/00 से 98/00	10.00
26	टोक जिला बोर्डर से रसीली मौजमाबाद बगरू-बेगस-लालपुरा-हिगोनिया- बागावास -लूनियावास सड़क किमी. 99/00 से 109/00	10.00
27	रेनवाल फाटक से बासड़ी खुर्द किमी. 0/00 से 1/00	0.60
28	जोबनेर रेनवाल रोड से सलहदीपुरा किमी. 0/00 से 2/250	1.35
29	रेनवाल मलिकपुरा से रामपुरा किमी. 0/00 से 2/00	1.20
30	आष्टी से बधाल किमी. 0/00 से 1/500	0.90
31	खेड़ी रामजीपुरा कलां से रामजीपुरा खुर्द किमी. 0/00 से 6/00	3.60
32	नान्दरी से सहलदीपुरा किमी. 0/00 से 2/560	1.54
33	रेनवाल से लूनियावास किमी. 0/00 से 10/00	6.00
34	रेनवाल बासड़ी रोड से कूच्यावाली ढाणी किमी. 0/00 से 2/270	1.36
35	लालासर से ढाणी कुमावतों की किमी. 0/00 से 3/730	2.24

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

36	हरसोली-सुन्दरपुरा रोड से ढाणी हनुमान खाड़ोतिया किमी. 0/00 से 3/510	2.11
37	इटावा से ढाणी रेफलिया किमी. 0/00 से 2/150	1.29
38	बागावास-बधाल रोड से जयपुर जिला बोर्डर लामिया खाटू श्याम किमी. 0/00 से 4/450	2.67
39	सीकर पचकोडिया रोड से सालगरामपुरा रामजीपुरा किमी. 0/00 से 4/250	2.55
40	ग्राम बधाल ए से बधाल बी किमी. 0/00 से 3/00	1.80
41	सम्पर्क सड़क नान्दरी किमी. 0/00 से 1/600	0.96
42	सम्पर्क सड़क मंडा से मंडा रेल्वे स्टेशन किमी. 0/00 से 3/00	1.80
43	बागावास से बासड़ी खुर्द किमी. 0/00 से 4/830	2.90
44	रेनवाल दातारामगढ़ रोड से रणजीतपुरा किमी. 0/00 से 1/600	0.96
45	प्रतापपुरा से रामजीपुरा कलां किमी. 0/00 से 5/000	3.00
46	सम्पर्क सड़क हरसोली से बासड़ी खुर्द किमी. 0/00 से 2/250	1.35
47	सम्पर्क सड़क सलहदीपुरा से ठिकरिया किमी. 0/00 से 1/200	0.72
कुल योग:-		109.67

उपखण्ड - जोबनेर

क्र.सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	टोक जिला बोर्डर से रसीली मोजमाबाद बगरू-बेगस-लालपुरा-हिगोनिया- बागावास -लूनियावास सड़क किमी. 75/00 से 82/00 एवं 82/500 से 85/500	10.00
2	पचकोडिया खेड़ी रोड से लोहरवाड़ा किमी. 0/00 से 1/00	0.60
3	सम्पर्क सड़क हिगोनिया बाईपास किमी. 0/00 से 2/00	1.20
4	हिगोनिया से बेनियों का बास किमी. 0/00 से 2/550	1.53
5	हिगोनिया से लोहरवाड़ा किमी. 0/00 से 4/200	2.52
6	जोबनेर रेनवाल रोड से भोजपुरा खुर्द किमी. 0/00 से 2/300	1.38
7	जोबनेर रेनवाल रोड से ककरालियों की ढाणी किमी. 0/00 से 1/100	0.66
8	हिगोनिया करणसर रोड से धाना का बास किमी. 0/00 से 1/080	0.65
9	खेड़ा रामपुरा से गुमानपुरा किमी. 0/00 से 2/530	1.52
10	डूंगरी कलां से डूंगरी का बास किमी. 0/00 से 5/000	3.00
11	बड़ी डूंगरी से रामसिंहपुरा उर्फ सांगा का बास किमी. 0/00 से 3/850	2.31
12	केसा का बास से चारणवास किमी. 0/00 से 2/200	1.32
13	हिगोनिया से ठाकरसी का बास किमी. 0/00 से 1/900	1.14
14	खेड़ी से खिरवा वाया कावड़िया हनुमानजी किमी. 0/00 से 2/00	1.20
15	जोबनेर से मंडाभीमसिंह वाया बबेरवालों की ढाणी, बंशीपुरा, अनन्तपुरा रोड किमी. 3/00 से 11/700	5.22
16	मुरलीपुरा से चिरनोटिया किमी. 0/00 से 2/200	1.32
17	जोबनेर रेनवाल रोड से विजयगोविन्दपुरा किमी. 0/00 से 1/00	0.60
18	हिगोनिया से डूंगरी किमी. 0/00 से 1/00	0.60
19	जोबनेर कालवाड़ रोड से कालख बंध किमी. 0/00 से 1/00	0.60
20	अगरपुरा गोकुलपुरा रोड से बागड़ा का बास किमी. 0/00 से 2/600	1.56
21	जोबनेर डेहरा रोड से झाझड़ों की ढाणी किमी. 0/00 से 3/700	2.22
22	डूंगरी से ढाणी खारड़ा की किमी. 0/00 से 3/590	2.15
23	बस्सी नागा से ढाणी रेबारी की किमी. 0/00 से 3/030	1.82
24	मुरलीपुरा से ढाणी केसा की किमी. 0/00 से 3/060	1.84
25	जोबनेर सिनोदिया रोड किमी. 2/800 से ढाणी सोलकियों की किमी. 0/00 से 2/810	1.69
26	हिगोनिया से ढाणी चेतावाली की किमी. 0/00 से 4/410	2.65
27	छोटा मठ (बेनियों का बास) भैसावास किमी. 0/00 से 2/50	1.50
28	गांधी चौक करणसर से स्यापों की ढाणी वाया सुन्दरपुरा रोड किमी. 0/00 से 3/400	2.04
29	जोबनेर आसलपुर रोड से कैरिया नाड़ा होते हुये ढाणी बोरज तक किमी. 0/00 से 3/900	2.34
30	भैसावा से बासड़ी कलां किमी. 0/00 से 3/300	1.98
31	सांगा का बास से गुमानपुरा किमी. 0/00 से 2/400	1.44
32	चौलाई बस स्टैण्ड से लालपुरा हिगोनिया रोड तक वाया रामेश्वर जादम एवं माचीवालों की ढाणी किमी. 0/00 से 2/00	1.20
33	हिगोनिया चेतावाली रोड से कुड़ियों की ढाणी वाया मूलसिंह जी की ढाणी किमी. 0/00 से 2/400	1.44
34	जोबनेर कालख रोड से इन्द्रगढ़ स्कूल तक किमी. 0/00 से 2/00	1.20
35	कुड़ियों का बास से बड़ा मठ सीसी रोड तक किमी. 0/00 से 1/900	1.14
36	जोरपुरा से मंडा भोपावास सीमा तक किमी. 0/00 से 2/00	1.20
37	सुन्दरियावास से जाखड़ों की ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते पर किमी. 0/00 से 2/200	1.32
38	पचकोडिया हिगोनिया रोड से मुरलीपुरा किमी. 0/00 से 2/150	1.29

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

39	भोजपुरा खुर्द से प्रतापपुरा किमी. 0/00 से 4/300	2.58
40	स्वामी की ढाणी से विजयगोविन्दपुरा किमी. 0/00 से 1/100	0.66
41	श्री बालाजी मंदिर हेतु विजयगोविन्दपुरा सम्पर्क सड़क किमी. 0/00 से 2/200	1.32
42	सम्पर्क सड़क बेनियों का बास किमी. 0/00 से 0/800	0.48
43	बोबास से कालख किमी. 0/00 से 5/700	3.42
44	सम्पर्क सड़क से डूंगरी कलां किमी. 0/00 से 2/100	1.26
45	सम्पर्क सड़क से कुडियों का बास किमी. 0/00 से 1/230	0.74
	कुल योग:-	79.85

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक 10645-55 दिनांक 08.09.2022 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक 9362-63 दि. 26.07.22 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

क्रमांक/सम/1193

दिनांक : 16/9/22

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- फुलेरा, जिला जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा उपखण्ड चौमूं के 117 कार्यों के प्रस्तावों में दर्शायी गयी क्षति की दिनांक को सिंचाई विभाग से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में नहीं आने से आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये हैं।
4. उपखण्ड अधिकारी सांभर/जोबनेर
5. तहसीलदार, सांभर/जोबनेर/किशनगढ़ रेनवाल
6. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,

जयपुर